



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1488 वर्ष 2026

सोनिया @ सोनी
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.... उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	कृष्ण कुमार सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय मयंक राज की पत्नी हैं, जिनसे उनका विवाह 09.02.2020 को संपन्न हुआ था। मयंक राज एक्स-रे तकनीशियन के रूप में कार्यरत थे, जिनका निधन हो गया।
09.03.2025.
- वर्तमान रिट याचिका में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की गई है।
- दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत तलाक की याचिका दायर की गई है, लेकिन चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता के दावे पर सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
- बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"